ए/2-16/2001- भा.व.सं.
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

दिनांक : २५ अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूलतः हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2026-2027) के संबंध में |

भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से, यह प्रोत्साहन योजना पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू की जा रही है। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

2. पात्रता

(क) संस्थान में कार्यरत सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं, जो अपने सरकारी कार्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से मूलतः हिंदी में करते हैं।

(ख) केवल वे अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे, जो वर्ष में न्यूनतम 20,000 शब्द हिंदी में लिखेंगे। इसमें टिप्पण, प्रारूप, पंजी में इन्द्राज, सूची निर्माण, लेखांकन आदि जैसे कार्य, जिनका सत्यापन किया जा सके, शामिल होंगे।

(ग) वे आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी अन्य किसी योजना के अंतर्गत पूर्व में लाभान्वित हो चुके हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) राजभाषा प्रभाग में कार्यरत वे अधिकारी/कर्मचारी, जो सामान्यतः अपना कार्य हिंदी में करते हैं, भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. पुरस्कार

पुरस्कार राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1. **प्रथम पुरस्कार (02 उम्मीदवार)** – ₹5000/- (प्रत्येक)
2. **द्वितीय पुरस्कार (03 उम्मीदवार)** – ₹3000/- (प्रत्येक)
3. **तृतीय पुरस्कार (05 उम्मीदवार)** – ₹2000/- (प्रत्येक)

4. मूल्यांकन समिति

हिंदी में किए गए कामकाज के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी, जो इस प्रकार होगी:

1. कुलसचिव – अध्यक्ष
2. उप कुलसचिव – सदस्य
3. सहायक निदेशक (राजभाषा) – सदस्य सचिव

परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड

(क) मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए कार्य की मात्रा तथा 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो, उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपने हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा संधारित करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखा-जोखे पर संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(घ) पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सेवा-पंजिका में समुचित उल्लेख किया जाएगा।

(ङ) प्रत्येक इच्छुक एवं पात्र अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिंदी में किए गए अपने कामकाज का लेखा-जोखा, सत्यापन करने वाले अधिकारी के माध्यम से, वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरांत दिनांक 10 अप्रैल, 2027 तक सहायक निदेशक (राजभाषा) को जमा किया जाएगा, ताकि उसे मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

राजा

(मरीय क्रिस्तु राजा डी.)

कुलसचिव

वितरण

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव
2. वित्त अधिकारी
3. उप कुलसचिव
4. संस्थान के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
5. आईटी अनुभाग प्रमुख – इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।